संख्या-99/2022/831/तीस-3-22-20B-2017TC

प्रेषक,

डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उ0प्र0, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के सम्बन्ध में दिनांक 18-11-2021 को मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन स्तर पर हुई बैठक में लिये गये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को देय रू0 100.00 करोड़ को अनुदान के रूप में उ0प्र0 परिवहन निगम को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक, कार्यालय उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पत्र संख्या-763बीएफ/22-17बीएफ/21, दिनांक 16 अप्रैल, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन के स्तर पर हुई बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को देय रू0 100.00 करोड़ को अनुदान के रूप में उ0प्र0 परिवहन निगम को उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में उक्त प्राविधान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को भुगतान-42-अन्य व्यय की मद में रू0 100.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के सम्बन्ध में दिनांक 18-11-2021 को मा0 मुख्यमंत्री

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जी उ0प्र0 शासन स्तर पर हुई बैठक में लिये गये गये निर्णयानुसार उ0प्र0 परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को देय रू0 100.00 करोड़ को अनुदान के रूप में उ0प्र0 परिवहन निगम को उपलब्ध कराये जाने हेतु परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 के निवर्तन पर रखते हुए उक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की निम्नलिखित शर्त के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(3) आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा कियी अन्य श्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,00,000 (रुपये एक अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 043 लेखा शीर्षक 5055008000700 उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अस्तियों एवं दायित्वों के विभाजन के संबंध में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को भुगतान **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-22-X-2022-23, दिनांक 18 अगस्त, 2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-99/2022/831/तीस-3-22-20B-2017TC, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0स0प0निगम, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त स्वीकृत धनराशि परिवहन निगम उत्तराखण्ड को हस्तांतरित कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

5- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय उ0प्र0रा0स0प0निगम, लखनऊ।

7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1

8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9

9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।

10- परिवहन अनुभाग-1/2

11- वैभागिक आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।